उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–11
संख्या– 387/एक–11–2021–4(जी)/2015
लखनऊ : दिनांक :: 09 जून, 2021

अधिसूचना

भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (2015–20) से व्यय के संबंध में मानक एवं दरों को निर्धारित करते हुये पत्र संख्या 32–7/ 2014–एनडीएम–प्रथम, दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या–13 में निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

Items	Norms of Assistance
State specific disasters within the local context in the State, which are not included in the notified list of disasters eligible for assistance from SDRF/NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds allocation of the SDRF.	• Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). • The norm for various items will be the same as applicable to other notified natural disaster, as listed above. or • In these cases, the scale of relief assistance against each item for local disaster should not exceed the norms of SDRF. • The flexibility is to be applicable only after the State has formally listed the disasters for inclusion and notified transparent norms and guidelines with a clear procedure for identification of the beneficiaries for disaster relief for such local disasters, with the approval of SEC.

2. भारत सरकार द्वारा की गयी उक्त व्यवस्था के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू–प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई एवं गैस रिसाव, बोरबेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना तथा मानव वन्य–जीव द्वन्द्व को राज्य आपदा घोषित किया गया है।

3. शासन द्वारा घोषित उपर्युक्त आपदाओं के अतिरिक्त प्रदेश में **कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु को** राज्य आपदा घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. आपदा / दुर्घटनावश / डूबकर होने वाली मृत्यु तथा स्वेच्छा से डूबकर (Suicide) होने वाली मृत्यु में भेद किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :—

(1) मृतक का पंचनामा किया जायेगा।

(2) किसी भी अधिसूचित आपदा से जनहानि की दशा में उपजिलाधिकारी द्वारा पुष्टि के उपरांत ही राहत राशि का भुगतान किया जाता है ताकि आपदा राहत राशि के दुरूपयोग को पूर्णतया रोका जा सके। डूबकर होने वाली मृत्यु के सम्बन्ध में भी उपजिलाधिकारी द्वारा उक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन किये जाने के उपरान्त ही राहत राशि भुगतान किये जाने का निर्णय लिया जायेगा।

(3) आपदा / दुर्घटनावश / डूबकर होने वाली मृत्यु तथा स्वेच्छा से डूबकर (Suicide) होने वाली मृत्यु में अन्तर उक्त आधारों पर जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, आत्महत्या या अन्य आपराधिक कृत्य के फलस्वरूप होती है, तो ऐसी दशा में मृतक के आश्रित को कोई सहायता राशि अनुमन्य नहीं होगी।

4. उक्त घोषित राज्य आपदा के सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06– स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" से वहन किया जायेगा।

09/6/21
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 387(1) / एक–11–2021 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

UO-R-11/2021-40

8. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन।
10. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://rahat.up.nic.inपर अपलोड कराने हेतु।
11. अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग–11 को http://shasanadesh.up.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. राजस्व अनुभाग–10
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।